रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 297] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 1998/वैशाख 23, 1920
No. 297] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 1998/VAISAKHA 23, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 1998

आय कर

का. आ. 395 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1998 है ।

(2) ये 1 अगस्त, 1997 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(2) आय-कर नियम 1962 के नियम 2 आ आ के उपनियम (2) की सारणी में, क्रम संख्यांक 9 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र०सं०	भत्ते का नाम	वह स्थान जहां भत्ते में छूट दी गई है	वह सीमा जिस तक भत्ते में छूट दी गई है
"10	किसी कर्मचारी को उसके निवास स्थान और कर्तव्य स्थान के बीच आने-जाने के प्रयोजन के लिए उसके व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया परिवहन भत्ता ।	सम्पूर्ण भारत	800 रु. प्रति मास"

[अधिसूचना सं० 10586 फा०सं० 142/18/98-टी पी एल]

एस० बालासुब्रह्मण्यन, अवर सचिव (टी०पी०एल-III)

टिप्पण : मूल नियम का०आ० 969 (आ) तारीख 26.3.1962 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का०आ० 390 (आ) तारीख 8.5.1998 द्वारा संशोधित किए गए।

स्पष्टीकारक टिप्पण :—केन्द्रीय सरकार ने पांचवे वेतन आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी हकदारी के अनुसार 1 अगस्त, 1997 से 800 रु. प्रति मास से अनधिक की राशि का परिवहन भत्ता दिया है । केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर की पंक्ति के अधिकारी, उनके गृह से कार्यालय तक और वापसी की यात्रा के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के स्थान पर सरकारी वाहन के लिए हकदार है, जिसे परिलब्धि नहीं माना गया है और जो आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कर योग्य नहीं है। किन्तु परिवहन भत्ता जो,—

(क) संयुक्त सचिव ओर उससे ऊपर की पंक्ति के अधिकारी, जिन्होंने सरकारी वाहन की उक्त सुविधा का लाभ उठाने के स्थान पर परिवहन भत्ते का विकल्प दिया है; और

(ख) सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जिनमें समूह "ग" और समूह "घ" पदाधिकारी सम्मिलित है, जिन्हें परिवहन भत्ता दिया गया है वह उसी प्रयोजन के लिए आयकर के लिए दायी है।

2. उपर्युक्त विसंगति को दूर करने और परिवहन भत्ता पर कराधान के विषय में सभी व्यक्तियों को समान मानते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् 1 अगस्त 1997 से, परिवहन भत्ता को, जो 800 रु० प्रति मास से अनधिक की राशि के बराबर है, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों से भिन्न किन्हीं स्थापनों के अधीन कार्यरत किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों ने प्राप्त किया है, आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन छूट देने का विनिश्चय किया है ।

3. अतः, उक्त प्रस्ताव को 1 अगस्त, 1997 से प्रभावी बनाने के लिए आय-कर नियम, 1962 के नियम 2 आ आ में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियम 2 आ.आ. के प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से निर्धारितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 1998

INCOME-TAX

S.O. 395 (E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

(1) These rules may be called the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1997.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 2 BB, in sub-rule (2), in the Table, after serial number 9, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

Sl.No.	Name of allowance	Place at which allowance is exempt.	Extent to which allowance is exempt
1	2	3	4
"10.	Transport allowance granted to an employee to meet his expenditure for the purpose of Commuting between the place of his residence and the place of his duty.	Whole of India	Rs. 800 per month."

[Notification No. 10586 F.No. 142/18/98-TPL]

S. BALASUBRAMANIAN, Under Secy. (TPL-III)

Note.—The principal rules were published under S.O. 969(E) dated 26-3-1962 and subsequently amended Vide S.O. 390(E) dated 8-5-98

Explanatory Notes.—The Central Government have, on the Recommendations of the Fifth Pay Commission, given to officers and employees of the Central Government, with effect from the 1st day of August, 1997, a transport allowance of an amount not exceeding Rs. 800 per month, in accordance with their entitlement, The officers of the rank of Joint Secretary and

above in the Central Government are entitled for official vehicles for the purpose of their journeys from home to office and back in lieu of the transport allowance which is not treated as a perquisite and is not taxed under the Income-tax Act, 1961. But, the transport allowance given to,-

(a) the officers of the rank of Joint Secretary and above who opt for transport allowance in lieu of the said facility of availing of official vehicle; and

(b) all other officers and employees, including Group "C" and "D" officials

for the same purpose is liable to Income-tax.

2. To remove the above anomaly and treat all the persons equally in the matter of taxation of transport allowance, the Central Board of Direct Taxes has decided to exempt with retrospective effect, that is, with effect from the 1st day of August, 1997, the transport allowance equal to an amount not exceeding Rs. 800 per month drawn by any officer or employee working under the Central Government or State Governments or any establishment other than Central Government or State Governments, under the Income-tax Act, 1961.

3. It is, therefore, proposed to amend rule 2BB of the Income-tax Rules, 1962 with effect from the 1st day of August, 1997 to give effect to the said proposal.

4. It is certified that the retrospective effect to the proposed amendment to the said Rule 2BB shall not prejudicially affect the interest of assesses.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998